न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम गुरूकुल शिक्षण संस्थान अध्यक्ष जीवणराम पुत्र प्रभूराम जात जाट निवासी सरदारपुरा

प्रा.पत्र नम्बर 54/2020 **GCMS No.2020/00120**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
11/01/2023	अप्रार्थी की आर से श्री श्यामसुन्दर अधिवक्ता उपस्थित। जिनके द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम त्रिसिंज्ञा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 235/227 रकबा 0.8133 हैक्टर स्थित चली आ रही है, जिसमें अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि आई हुई है, उपरोक्त भूमि को संस्थानिक प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है लेकिन उक्त भूमि पर स्थगन प्रभावी होने से संपरिवर्तन की कार्यवाही नही का जा सकती, अप्रार्थी ने उक्त भूमि रूपान्तरण करवाने के लिए नगरपालिका मण्डल कुचामनसिटी में आवेदन प्रस्तुत कर रखा है जिसकी रसीद 22.11.2019 को 87557/–रूपये की कटवाई गई है, जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है, प्रभावी स्थगन को खारिज फरमाने की कृपा करावें जिससे अप्रार्थी उक्त भूमि को नियमानुसार रूपान्तरण करवा सके। अतः जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 06.10.2020 खारिज फरमाई जावे। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि को संपरिवर्तन कराये जाने हेतु नगरपालिका मण्डल कुचामनसिटी में पत्रावली जमा कराकर रसीद 22.11.2019 को 87557/–रूपये की कटवाई गई है जिसकी पुष्टि रसीद की छाया प्रति से प्रतीत होती है। अप्रार्थी ने कथन किया है कि स्थगन प्रभावी होने के कारण संपरिवर्तन की कार्यवाही नही हो पा रही है, अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 17.08.2020 खारिज फरमाई जावें। जिससे अप्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि से गैर कृषि प्रयोजन के लिए अनुज्ञा प्रारूप–11 में जारी करवाकर आदेश की प्रति श्रीमान की सेवामें प्रस्तुत की जा सके। अप्रार्थी 2 माह में भूमि संपरिवर्तन कराकर आदेश की प्रति आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र साबित नही है तथा इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 17.08.2020 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:39:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)